कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा

E-mail:- csalmdfo@rediffmail.com Phone/Fax :- (05962) 230229

पत्रांक 3047/6-38/ (भैंसा गोश्त) दिनांक, अल्मोड़ा, 13/04/2023

अति अल्प कालीन निविदा सूचना (भैंसा गोश्त आपूर्ति हेतु)

महामहिम राज्यपाल उत्तराखण्ड की ओर से अधोहस्ताक्षरी द्वारा मृग विहार अल्मोड़ा में वित्तीय वर्ष 2023–24 की अवधि के लिए भैंसा गोश्त आपूर्ति हेतु दिनांक 06.05.2023 तक "रजिस्टर्ड डाक" द्वारा मुहरबन्द निविदा 1000/–(एक हजार) +18% जी0एस0टी0 मात्र के निर्धारित टैण्डर फार्म में 3.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है । यह निविदाएं दिनांक 06–05–2023 को सांय 4.00 बजे अधोहस्ताक्षरी द्वारा अथवा उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी द्वारा खोली जायेंगी । टैण्डर दाता चाहे तो स्वयं अथवा उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि टैण्डर खोलते समय उपस्थित रह सकते हैं । टैण्डर देने से पूर्व निविदादाता निम्न शर्तों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लें अन्यथा शर्तों की पूर्ति न होने से टैण्डर निरस्त किया जा सकता है। टैण्डर फार्म नकद मूल्य पर इस कार्यालय से किसी भी कार्यदिवस को दिनांक 04.05.2023 तक खरीदे जा सकते हैं । यदि निर्धारित तिथियों को किसी प्रकार का अवकाश होता है, तो तिथि अगली मानी जायेगी।

टैण्डर की शर्तेः–

1– टैण्डर इस कार्यालय द्वारा बेचे गये **1000/– (एक हजार)** +18% जी0एस0टी0 मात्र के टैण्डर फार्म में ही देना होगी तथा इस टैण्डर फार्म के साथ **100/– (एक सौ)** मात्र का नौन जुडिशियल स्टाम्प पेपर हस्ताक्षर उपरान्त संलग्न कर टैण्डर केवल **"रजिस्टर्ड डाक"** द्वारा इस कार्यालय में निर्धारित तिथि व समय पर पहुँच जाने चाहिए ।

2– डाक के बिलम्ब अथवा अन्य कारणों से विलम्ब होने पर विभाग उत्तरदायी नहीं होगा । विलम्ब से अथवा अपूर्ण कार्यवाही कर प्राप्त टैण्डर स्वतः निरस्त व अमान्य माना जायेगा ।

3– निविदादाता को जिला परिषद में ठेकेदारी हेतु तथा नगर पालिका में गोश्त बिक्री हेतु वर्ष 2023–24 में पंजीकृत होना चाहिए तथा इन सभी की प्रमाणित फोटो प्रतियाँ भी निविदा के साथ संलग्न करनी होगी ।

4– निविदादाता को जिलाधिकारी अथवा पुलिस अधीक्षक अथवा तहसीलदार द्वारा छः माह के अन्तर्गत जारी वैध (आचरण) प्रमाण पत्र की प्रमाणित फोटो प्रति निविदा के साथ संलग्न करनी होगी ।

5– निविदादाता को **25,000/–(पचीस हजार)** मात्र की अधोहस्ताक्षरी के नाम बन्धक नेक जमानत निविदा के साथ लगानी होगी । यह डाकघर के राष्ट्रीय बचत पत्र, या बैक एफ0डी0आर0 के रूप में संलग्न की जायेगी। नकद अथवा ड्राफ्ट मान्य नहीं होगा । बिना नेक जमानत के टैण्डर स्वीकृत नहीं किये जायेगे।

6– निविदा साफ–साफ भरी जानी चाहिए । इसमें किसी प्रकार की काट–छाँट (overwriting) नहीं की जानी चाहिए । यदि कहीं आवश्यक हो तो कटिंग पर निविदादाता के हस्ताक्षर होने चाहिए । निविदा समस्त कर सम्मिलित करते हुए दी जानी चाहिए तथा भुगतान के समय सभी करों की कटौती नियमानुसार करते हुए भुगतान किया जायेगा ।

7– सफल निविदादाता को निविदा स्वीकृत होने पर तीन दिन के अन्दर प्रतिज्ञा पत्र में हस्ताक्षर करने होंगे तथा कार्यादेश/आपूर्ति आदेश जारी होने के बाद प्रतिदिन निश्चित समय पर ताजा बीमारी रहित मानकों के अन्तर्गत सही तौल सहित व गुणवत्ता युक्त गोश्त उपलब्ध न कराने की स्थिति में बन्धक धन अपहरित कर लिया जायेगा तथा इकरारनामा निरस्त माना जायेगा । यदि कभी भी डॉक्टरी जॉच में गोश्त दोषयुक्त पाया जाता है तो ठेकेदार के ऊपर वैधानिक कार्यवाही भी की जा सकती है ।

8– गोश्त में केवल टॉगों (जॉघों) का मांस की आपूर्ति करनी होगी ।

9– सफल निविदादाता को प्रतिदिन गोश्त की अपूर्ति, विवरण में दिये गये दिनचर्या के अनुसार प्रातः 9.00 बजे विभाग के प्रतिनिधि के पास मृग विहार, अल्मोड़ा में स्वयं के खर्चे पर करनी होगी । इसमें कार्य प्रभारी की संतुष्टि न होने अथवा शिकायत व शिथिलता पर ठेका निरस्त किया जा सकता है ।

10–इस सूचना में अंकित गोश्त की मात्रा घट अथवा बढ़ सकती है ऐसी स्थिति में ठेकेदार तद्नुसार आपूर्ति हेतु बाध्य होगा ।

11–गोश्त (भैंसा) की दरें प्रति कि.ग्रा. भार के अनुसार देनी होगी ।

12–किसी भी अथवा समस्त निविदाओं को बिना कारण बताए स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास होगा ।

13–निविदा के साथ आपूर्तिकर्ता को पैन नम्बर, जी0एस0टी0नम्बर आदि संलग्न करना अतिआवश्यक है।

आई. डी. ए. (डी) आवश्यक कार्यवाही करें
दि. 25.4.2023

क्रमशः 2/ पर

आपूर्ति की दिनचर्या

सोमवार	27.50 कि.ग्रा. भैंसा गोश्त
बुधवार	27.50 कि.ग्रा. भैंसा गोश्त
वृहस्पतिवार	27.50 कि.ग्रा. भैंसा गोश्त
शुक्रवार	27.50 कि.ग्रा. भैंसा गोश्त
शनिवार	27.50 कि.ग्रा. भैंसा गोश्त
रविवार	27.50 कि.ग्रा. भैंसा गोश्त

उपरोक्त के सम्बन्ध में अन्य जानकारी इस कार्यालय अथवा प्रभारी मृग विहार, अल्मोड़ा से सम्पर्क कर प्राप्त की जा सकती है ।

(ध्रुव सिंह मर्तोलिया)
प्रभागीय वनाधिकारी
सिविल एवं सोयम वन प्रभाग
अल्मोड़ा

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा

E-mail:- csalmdfo@rediffmail.com Phone/Fax :- (05962) 230229

पत्रांक 3047/6-38/ (भैंसा गोश्त) अल्मोड़ा दिनांक 13/04/2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, वृहत प्रचारार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा ।
2– जिला अधिकारी, अल्मोड़ा तथा परगनाधिकारी बारामंडल, अल्मोड़ा ।
3– प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा ।
4– अध्यक्ष जिला परिषद / नगर पालिका, अल्मोड़ा ।
5– जिला सूचना अधिकारी, अल्मोड़ा ।
6– प्रभारी अधिकारी, आई0टी0 सैल कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
7– समस्त वन क्षेत्र अधिकारी, सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा ।
8– वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, आशुलिपिक, लेखा एवं भण्डार लिपिक एवं मानचित्रकार ।
9–सूचना पट्ट ।

(ध्रुव सिंह मर्तोलिया)
प्रभागीय वनाधिकारी
सिविल एवं सोयम वन प्रभाग
अल्मोड़ा